रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION LTD
भारत सरकार का उद्यम/A Government of India Enterprise
Regd. Office Core-4 SCOPE Conplex 7 Lodi Road New Delhi 110003
Tele 24365161 & 41020101 Fax 24360644 Gram RECTRIC
E-mail reccorp@recl.nic.in Website www.recindia.com www.recindia.nic.in

कंपनी सचिवालय प्रभाग

टेंडर सं.-एसईसी-1/244/2011 दिनांकः 24.02.11

विषयः-वित्त वर्ष 2010-11 तथा आगे के लिए आरईसी में 3 वर्षों के लिए सेक्रेटेरियल ऑडिट का काम करने हेतु कंपनी सचिव/फर्मों/प्रोप्राइटरशिप/व्यक्तियों के नामों का पैनल बनाने के लिए बोली आमंत्रण सूचना

रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसी) सरकारी कंपनी है। इसका गठन कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत वर्ष 1969 में किया गया था। इस कंपनी का प्रमुख उद्देश्य सार्वजनिक एवं प्राइवेट क्षेत्र की सभी बिजली परियोजनाओं का वित्तपोषण करना है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 4ए के अंतर्गत आरईसी एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान है। आरईसी रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 आई ए के अंतर्गत एक गैरबैंकिग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में रजिस्टर्ड है। भारत सरकार ने प्रतिष्ठान के सुदृढ़ कामकाज और लाभप्रदता के आधार पर आरईसी को एक नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है। रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने आरईसी को एक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (आईएफसी) के रूप में भी वर्गीकृत किया है।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के जरिये राष्ट्रपति के पास इस समय 66.80 प्रतिशत जारी एवं चुकता शेयर पूंजी है। कंपनी की शेष 33.20 प्रतिशत शेयर पूंजी आम जनता के पास है।

आरईसी जानी मानी कंपनी सेक्रेटरी फर्मों/प्रोप्राइटरशिप/व्यक्तियों के नामों का एक पैनल बनाना चाहता है जो शुरू शुरू में 3 वित्त वर्षों के लिए वैध होगा। इसका उद्देश्य कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में वित्त वर्ष 2010-11 तथा इसके आगे भी साल दर साल के आधार पर सेक्रेटेरियल ऑडिट करना होगा। प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरियों का पैनल बनाने की प्रक्रिया पूरी कर लेने के बाद सेक्रेटेरियल ऑडिट करने के लिए पैनल में शामिल फर्मों/प्रोप्राइटरशिप/व्यक्तियों से वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही में वित्तीय बोलियां आमंत्रित की जायेंगी। इस प्रकार का पहला ऑडिट वित्त वर्ष 2010-11 में करवाने का प्रस्ताव है।

फर्म/प्रोप्राइटरशिप/व्यक्ति के हस्ताक्षर और मुहर

1. **कार्य का क्षेत्र**

सेक्रेटेरियल ऑडिट के अंतर्गत नियुक्त पैक्टिसिंग सेक्रेटरी (पीसीएस) फर्म/प्रोप्राइटरशिप/व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले कार्यों का विवरण समझने और तुंत संदर्भ के लिए उपबन्ध-1 में दिया जा रहा है जो केवल उदाहरण के लिए है, सम्पूर्ण नही।

1- **तकनीकी बोली प्रस्तुत करने के लिए पात्रता मापदण्ड**

- लीड पार्टनर/प्रोप्राइटरशिप/व्यक्ति जिसकी देखरेख में सेक्रेटरियल ऑडिट किया जायेगा, उसके पास 15 वर्षों का योग्यता बाद अनुभव होना चाहिए जिसमें से कम से कम 12 वर्ष फुलटाइम प्रैक्टिस का और शेष अवधि नौकरी/सेवा के रूप में हो सकती है;

- उम्मीदवार ने कम से कम 5 ऐसी सूचीबद्ध कंपनियों का सेक्रेटेरियल ऑडिट किया हो जिनकी चुकता पूंजी 500 करोड़ रुपये से ज्यादा न हो;

- उसके पास कम से कम 5 फुलटाइम प्रैक्टिस करने वाले एक्टिव पार्टनर हो अथवा 5 पूर्णकालिक कर्मचारी हों जो कंपनी सेक्रेटरी के रूप में योग्यता प्राप्त हों;

- प्रैक्टिस से उसका वार्षिक औसत टर्नओवर पिछले तीन वर्षों में कम से कम दस लाख रुपये या इससे ज्यादा रहा हो;

- उसका मुख्यालय/शाखा कार्यालय दिल्ली में हो।

उन फर्मों/प्रोप्राइटरशिप/व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जायेगी जिन्हें एक या अधिक सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों का सेक्रेटेरियल ऑडिट करने का अनुभव हो और जिन्हें 500 करोड़ रुपये या इससे ज्यादा की चुकता पूंजी वाली कंपनियों को कारपोरेट गर्वनेंस सर्टिफिकेट जारी करने का अनुभव हो।

2. **शर्तें**

1- **पैनल की वैधताः** इस इम्पैनलमेंट की वैधता सेक्रेटरियल ऑडिट करने के लिए शुरू शुरू में 2010-11 से तीन वित्त वर्षों के लिए होगी।

2- **सेक्रेटरियल ऑडिट करने के लिए वित्तीय बोलियां:** फर्मों/प्रोप्राइटरशिप/व्यक्तियों से हर वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही में वित्त वर्ष 2010-11 तथा इससे आगे सेक्रेटेरियल ऑडिट करने के लिए हर साल वित्तीय बोलियां आमंत्रित की जायेंगी।

3- ऑडिट पूरा करनाः ठेका मिलने की तारीख से 45 दिनों के अंदर सेक्रेटरियल ऑडिट का काम पूरा करना होगा। यह भी उम्मीद की जाती है कि ठेका मिलने की तारीख से 20 दिनों के अंदर सेक्रेटेरियल ऑडिट का काम शुरू कर दिया जायेगा। **समय पर काम पूरा करना इस ठेके की प्रमुख बात होगी।**

4- **अदायगी शर्तें** फर्म/प्रोप्राइटरशिप/व्यक्ति द्वारा आरईसी की संतुष्टि के अनुरूप सेक्रेटेरियल

फर्म/प्रोप्राइटरशिप/व्यक्ति के हस्ताक्षर और मुहर

ऑडिट रिपोर्ट जारी करने के बाद बिल प्रस्तुत करने की तारीख से एक महीने के अंदर अदायगी की जायेगी। **सेक्रेटेरियल ऑडिट करने के लिए कोई एडवांस नही दिया जायेगा।**

5. आरईसी प्रबंधन को बिना कोई कारण बताये किसी या सभी बोलियों का रद्द करने का अधिकार है।

6. **नोडल अफसर की पहचानः** ठेका दिये जाने के दस दिनों के अंदर सफल फर्म/प्रोप्राइटरशिप/व्यक्ति को एक नोडल अफसर नामित करना होगा और ठीक समय पर तथा सही ढंग से संपर्क हो पाने को सुविधाजनक बनाने के लिए उसके विवरण आरईसी को देने होंगे।

7. **विवादः** अगर इस ठेके को लागू करने में किसी प्रकार का विवाद उठ खड़ा होता है तो सुलह सफाई और बातचीत के जरिये उसका सौहार्दपूर्ण समाधान निकाला जायेगा। लेकिन अगर किसी कारणवश विवाद नही सुलझता, तो इस मामले में आरईसी के +अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का फैसला अंतिम और संविदा के दोनों पक्षों पर बाध्यकर होगा।

8. जो फर्मे/प्रोप्राइटरशिप/व्यक्ति उक्त मापदण्डों को पूरा करते हें वे www.recindia.nic.in से **टेंडर डाक्यूमेंट** डाउनलोड कर ले अथवा आरईसी के **कारपोरेट ऑफिस स्थित स्वागत कार्यालय** से इसकी प्रति किसी कार्य दिवस पर सबेरे 10 से शाम 5 बजे तक प्राप्त कर लें।

9. **प्रस्ताव की प्रस्तुतः** जो भी तकनीकी बोली प्रस्तुत की जाये, उसके हर पृष्ठ पर हस्ताक्षर किये जायें और यह **अनुबंध-2** में संलग्न फार्मेट के अनुरूप हो। तकनीकी बोली को एक लिफाफे में विधिवत मुहरबंद करके प्रस्तुत किया जाये और उसके ऊपर सेक्रेटरियल ऑडिट करने के लिए कंपनी सचिव फर्मों का इम्पैनलमेंट लिखा हो।

10. **तकनीकी बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीखः** सीलबंद लिफाफे में तकनीकी बोली निम्नलिखित पते पर **25 मार्च 2011** को अपराहन 3 बजे तक अवश्य पहुंच जानी चाहिए-

श्री एम.एल. कुमावत
मुख्य प्रबंधक- कंपनी सचिवालय प्रभाग
आरईसी लिमिटेड
कोर-4 स्कोप परिसर
7 लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

फर्म/प्रोप्राइटरशिप/व्यक्ति के हस्ताक्षर और मुहर

11. **तकनीकी बोली खोलनाः** तकनीकी बोलियां **25 मार्च 2011** को अपराहन 4 बजे बोलीदाता फर्मों/प्रोप्राइटरशिप/व्यक्तियों के प्रतिनिधि, यदि कोई हों, तो उनकी उपस्थिति में खोला जायेगा। निर्दिष्ट समय सीमा के बाद प्राप्त तकनीकी बोलियां अथवा खुले लिफाफे में प्रस्तुत की गयी बोलियां या फैक्स संदेशों पर विचार नही किया जायेगा।

फर्म/प्रोप्राइटरशिप/व्यक्ति के हस्ताक्षर और मुहर

यदि इस संबंध में किसी प्रकार के स्पष्टीकरण की जरुरत हो तो अधोहस्ताक्षरी से फोन नंबर 011-24369854/011-43091692 पर संपर्क किया जा सकता है। आरईसी के पास बिना कोई कारण बताए बोलियां खोलने अथवा बिड नोटिस वापस ले लेने या समय सीमा बढ़ाने अथवा रोक देने के अधिकार सुरक्षित हैं। ऐसे मामले में बोलीदाता निगम से किसी प्रकार से प्रतिपूर्ति पाने के हक़दार नही होंगे।

भवदीय,

(एम.एल.कुमावत)
मुख्य प्रबंधक, कंपनी सचिवालय प्रभाग

फर्म/प्रोप्राइटरशिप/व्यक्ति के हस्ताक्षर और मुहर

अनुबंध-1

कार्य का क्षेत्र- सेक्रेटेरियल ऑडिट

सेक्रेटेरियल ऑडिट के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित अधिनियमों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन का सत्यापन करना शामिल होगा-

1- कंपनी अधिनियम 1956 तथा इसके अंतर्गत बनाये गये नियम;

2- मेमोरेंडम आफ एसोसिएशन तथा कंपनी के अर्टिकिल्स आफ एसोसिएशन;

3- सुरक्षा संविदा (विनियमन) अधिनियम 1956 (एससीआरए) और इसके अंतर्गत बनाये गये नियम;

4- डिपाजिटरीज एक्ट 1996 तथा विनियमन और इसके अंतर्गत बनाये गये उपनियम;

5- भारत के प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 (सेबी एक्ट) के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम एवं मार्गदर्शक नियम;

(क) भारत के प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (संब्सटैंशियल एक्विजिसन आफ शेयर एंड टेकओवर्स) रेग्युलेशंस 1997;

(ख) भारत के प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्राहिबिशन आफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेग्युलेशंस 1992);

(ग) भारत के प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इश्यू आफ कैपिटल एंड डिसक्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशंस 2009;

(घ) भारत के प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इश्यू एंड लिस्टिंग आफ डेट सिक्यूरिटीज) रेग्युलेशंस 2008;

(6) रिजर्व बैंक आफ इंडिया ऐक्ट 1934 तथा रिजर्व बैंक द्वारा जारी वे विभिन्न दिशानिर्देश, जो कंपनी पर लागू हों।

फर्म/प्रोप्राइटरशिप/व्यक्ति के हस्ताक्षर और मुहर

(7) फॉरेन एक्सचेंज मैनेंजमेंट एक्ट 1999 तथा इसके अंतर्गत बनाये गये नियम एवं विनियम जिनमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एवं एक्सटरनल कमर्शियल बॉरोइंग।

(8) लिस्टिंग एग्रीमेंट जो इस कंपनी ने स्टाक एक्सचेंजों के साथ कर रखे हैं।

(9) लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कारपोरेट गर्वनेंस संबंधी दिशानिर्देश 2010।

(10) अन्य कारपोरेट कानून जो आरईसी पर लागू हों।

फर्म/प्रोप्राइटरशिप/व्यक्ति के हस्ताक्षर और मुहर

अनुबंध-2

(फर्म/प्रोप्राइटरशिप/व्यक्ति के लेटरहेड पर)

तकनीकी बोली का प्रोफार्मा

(आरईसी का वित्त वर्ष..... का सेक्रेटेरियल ऑडिट करने के लिए)

क्रम सं.	विवरण	उत्तर
1.	फर्म/प्रोप्राइटरशिप/व्यक्ति का नामः • फर्म/प्रोप्राइटरशिप अथवा व्यक्ति- इनमें से क्या है • लीडपार्टनर/प्रोपराइटरशिप/व्यक्ति/निदेशक/प्रभारी अधिकारी का नाम • संपर्क व्यक्ति का नाम और संपर्क सूत्र	
2.	कंपनी सेक्रेटरी फर्म/प्रोप्राइटरशिप/व्यक्ति के रूप में प्रैक्टिस शुरू करने का वर्ष (कृपया दस्तावेजी सबूत संलग्न करें)	
3.	मुख्यालय/शाखा कार्यालयों का विवरण पता टेलीफोन नंबर फैक्स नंबर	
4.	लीड पार्टनर/प्रोपराइटर/व्यक्ति का **सेवा/अनुभव,** कृपया यह भी बतायें कि किसकी देख रेख में आरईसी का सेक्रेटेरियल ऑडिट किया जायेगा।	
5. क) ख)	सूचीबद्ध कंपनियों के किये गये सेक्रेटेरियल ऑडिट की संख्या उक्त में से: उन सूचीबद्ध कंपनियों के किये गये सेक्रेटेरियल ऑडिट की संख्या जिनकी चुकता पूंजी रुपये 500 करोड़ से ज्यादा है। सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के किये गये सेक्रेटेरियल ऑडिट की संख्या	
6.	रुपये 500 करोड़ या इससे ज्यादा की चुकता पूंजी वाली कंपनियों के सूचीबद्धता समझौते के खण्ड 49 के अंतर्गत जारी किये गये कारपोरेट गर्वनेंस सर्टिफिकेटों की संख्या।	
7.	फर्म/प्रोप्राइटरशिप/व्यक्ति के सक्रिय भागीदारों की संख्या जिनका 5 वर्ष से अधिक का अनुभव है। फर्म प्रोपराइटरशिप/व्यक्ति के उन सक्रिय भागीदारों की संख्या जिनका अनुभव 5 वर्ष से कम है। फर्म/प्रोप्राइटरशिप/व्यक्ति के साथ काम कर रहे योग्यता प्राप्त/अर्ध-योग्यता प्राप्त कंपनी सचिवों की संख्या फर्म/प्रोप्राइटरशिप/व्यक्ति के साथ काम कर रहे सीएस फाइनल/इंटरमीडिएट पास	

	कंपनी सचिव प्रशिक्षुओं की संख्या	
8.	फर्म/प्रोप्राइटरशिप/व्यक्ति की पिछले तीन वर्षों में वार्षिक आईटीआर/बैलेंस शीट के आधार पर औसत वार्षिक टर्नओवर (कृपया दस्तावेजी सबूत संलग्न करें)	
9.	कोई अन्य सूचना जो आप देना चाहें,	

हस्ताक्षर.....
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पद.....
फर्म/प्रोप्राइटरशिप/व्यक्ति की मुहर.....

दिनांक.....

स्थान.....

फर्म/प्रोप्राइटरशिप/व्यक्ति के हस्ताक्षर और मुहर